न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 62/2014

श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री गणेश लाल जाति नायक निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*अपीलान्टस्*

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
2. पटवारी ग्राम मोलकिया पटवार हल्का मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– 1. श्री तुलवीर सिंह, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 03.06.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2070 में श्रीमति रतनी देवी पत्नी श्री गणेश लाल जाति नायक निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर ने ग्राम मोलकिया के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 74 कुल रकबा 8.04 में से 0.24 हैक्टर भूमि पर नाजायज रूप से पौण्ड फार्म बनाकर व डोल बनाकर कब्जा कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 376/2013 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.09.2013 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर उपलब्ध सामग्री को जब्त कर नीलाम करने के आदेश पारित किये। अपीलान्टस् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.09.2013 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने मियाद के विंदु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है तथा अपील मीमो के तथ्यों को छिपा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दिनांक गलत अंकित कर दी गई है। पैरोकार सरकार ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट को जानकारी होने पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर मियाद अवधि की छूट हेतु

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील में मियाद अवधि हेतु संशोधन अनुमति चाही। न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मियाद प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् लगभग 1 वर्ष 6 माह की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी मियाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के साथ ही कमीपूर्ति में निरस्त की जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अपीलान्ट ने न तो इतनी लम्बी अवधि तक मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने का स्पष्टीकरण पेश किया तथा न ही न्यायालय को आश्वस्त किया कि वे अब यथाशीघ्र मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देंगे। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.06.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner